2008:CGHC:3049

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 1708/2008

श्रीमती झरना आचार्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

और

रिट याचिका क्रमांक 3400/2008

श्रीमती सविता नायर

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

आदेश के लिए 1 अक्टूबर, 2008 को सूचीबद्ध करें

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ता/-
धीरेंद्र मिश्रा
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 1708/2008

याचिकाकर्ता: झरना आचार्य, पति शशांक आचार्य, आयु लगभग 49 वर्ष, निवासी बचेली, तहसील दंतेवाड़ा, जिला दक्षिण बस्तर (छत्तीसगढ़)

बनाम

उत्तरवादीगण: 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, आदिवासी कल्याण विभाग, डी.के.एस. भवन, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. कलेक्टर (आदिवासी कल्याण), दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, जिला दक्षिण बस्तर (छत्तीसगढ़)

3. आयुक्त, आदिवासी कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

4. सहायक आयुक्त, आदिवासी कल्याण, दंतेवाड़ा, जिला दक्षिण बस्तर (छत्तीसगढ़)

5. श्रीमती सविता नायर, प्रधान पाठक, माध्यमिक शाला बड़े हदममुंडा, ब्लॉक कुआकोंडा, जिला दक्षिण बस्तर (छत्तीसगढ़)

और

रिट याचिका क्रमांक 3400/2008

याचिकाकर्ता: श्रीमती सविता नायर, पति वी.डी.एस. नायर, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी टाइप-4/9, एन.एम.डी.सी. किरंदुल, जिला दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

बनाम

उत्तरवादीगण: 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, आदिवासी कल्याण विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़) के माध्यम से

2. कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

3. सहायक आयुक्त, (आदिवासी कल्याण), दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

4. खंड शिक्षा अधिकारी, खंड कुआकोंडा, जिला दंतेवाड़ा

5. श्रीमती झरना आचार्य, पति शशांक आचार्य, आयु लगभग 49 वर्ष, निवासी बचेली, तहसील दंतेवाड़ा, जिला दक्षिण बस्तर (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

श्री एम. परांजपे, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता (रिट याचिका क्रमांक 1708/08) के लिए,
श्री पी.एस. कोशी, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता (रिट याचिका क्रमांक 3400/08) के लिए,
श्री वाई.एस. ठाकुर, उप शासकीय अधिवक्ता, राज्य के लिए

आदेश

(दिनांक 01.10.2008 को पारित)

द्वारा: धीरेंद्र मिश्रा, न्यायाधीश

1. याचिकाकर्ता श्रीमती झरना आचार्य द्वारा दायर रिट याचिका क्रमांक 1708/08, जिसमें श्रीमती सविता नायर प्रतिवादी क्रमांक 5 हैं, और याचिकाकर्ता श्रीमती सविता नायर द्वारा दायर रिट याचिका क्रमांक 3400/08, जिसमें श्रीमती झरना आचार्य प्रतिवादी क्रमांक 5 हैं, का निपटारा इस समान आदेश से किया जा रहा है। इसका कारण यह है कि याचिकाकर्ता-श्रीमती झरना आचार्य के दिनांक 27.02.2008 के स्थानांतरण आदेश (अनुलग्नक पी-2) को दिनांक 11.03.2008 के आदेश से संशोधित किया गया था, और उन्हें माध्यमिक विद्यालय, बड़े-हदममुंडा में प्रधान पाठक के रूप में, माध्यमिक विद्यालय, कोडेनार नंबर 2, ब्लॉक कुआकोंडा के स्थान पर, पदस्थ किया गया था। श्रीमती सविता नायर को उनके स्थान पर पदस्थ किया गया था। जबकि, याचिकाकर्ता श्रीमती सविता नायर दिनांक 20.05.2008 के आदेश (अनुलग्नक पी-7) से व्यथित हैं, जिसके द्वारा पूर्वोक्त दिनांक 11.03.2008 के आदेश (अनुलग्नक पी-3) को इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 1708/08 में दिनांक 25.04.2008 को पारित स्थगन आदेश (अनुलग्नक पी-6) के अनुपालन में संशोधित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, श्रीमती झरना आचार्य को माध्यमिक विद्यालय, कोडेनार-2, ब्लॉक कुआकोंडा में पदस्थ किया गया है, और श्रीमती सविता नायर को अब माध्यमिक विद्यालय, बड़े-हदममुंडा, ब्लॉक कुआकोंडा में पदस्थ किया गया है।

2. दोनों याचिकाओं में अविवादित तथ्य यह हैं कि दिनांक 21.02.2008 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता श्रीमती सविता नायर को प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नत कर माध्यमिक विद्यालय, बड़े-हदममुंडा में पदस्थ किया गया था। श्रीमती एस. बोरकर, जो माध्यमिक विद्यालय, कोडेनार-2 में प्रधान पाठक के रूप में कार्यरत थीं, का निधन दिनांक 25.02.2008 को हो गया, और इस प्रकार, माध्यमिक विद्यालय, कोडेनार-2 में प्रधान पाठक का पद रिक्त हो गया। याचिकाकर्ता-श्रीमती झरना आचार्य को प्रधान पाठक के पद पर दिनांक 27.02.2008 के आदेश से पदोन्नत किया गया और उनकी पसंद के आधार पर उन्हें माध्यमिक विद्यालय, कोडेनार-2 में पदस्थ किया गया। श्रीमती झरना आचार्य ने माध्यमिक विद्यालय, बचेली से दिनांक 03.03.2008 को कार्यमुक्त होने के बाद, दिनांक 04.03.2008 को खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत की। श्रीमती एस. बोरकर के निधन के बाद, याचिकाकर्ता श्रीमती सविता नायर ने अपनी पदस्थापना के विरुद्ध माध्यमिक विद्यालय, बड़े-हदममुंडा के लिए दंतेवाड़ा के कलेक्टर को अभ्यावेदन दिया और अनुरोध किया कि दिनांक 21.02.2008 के आदेश को संशोधित किया जाए और उन्हें माध्यमिक विद्यालय, कोडेनार-2 में प्रधान पाठक के रूप में पदस्थ किया जाए। दंतेवाड़ा के कलेक्टर ने, याचिकाकर्ता श्रीमती सविता नायर से अभ्यावेदन प्राप्त होने के बाद, दिनांक 04.03.2008 को श्रीमती सविता नायर और श्रीमती झरना आचार्य दोनों को काउंसलिंग के लिए बुलाया और उसके बाद, दिनांक 11.03.2008 के आदेश से दिनांक 21.02.2008 के पदस्थापना आदेश और दिनांक 27.02.2008 के आदेश को इस आधार पर संशोधित किया कि श्रीमती सविता नायर वरिष्ठ उच्च श्रेणी शिक्षक हैं और प्रधान पाठक के पदोन्नति में भी वह श्रीमती झरना आचार्य से वरिष्ठ हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्रीमती झरना आचार्य, ने उनके स्थानांतरण आदेश में इस संशोधन से व्यथित होकर, रिट याचिका क्रमांक 1708/08 दायर की और इस न्यायालय ने दिनांक 25.04.2008 के आदेश से दिनांक 11.03.2008 के आदेश के निष्पादन पर स्थगन लगा दिया, यदि इसे निष्पादित नहीं किया गया हो। कलेक्टर, दक्षिण बस्तर ने दिनांक 20.05.2008 के आदेश (अनुलग्नक पी-7) से, दिनांक 25.04.2008 के आदेश के अनुपालन में, दोनों याचिकाकर्ताओं के पिछले पदस्थापना आदेश दिनांक 11.03.2008 को संशोधित किया और अब श्रीमती झरना आचार्य को माध्यमिक विद्यालय, कोडेनार-2 में और श्रीमती सविता नायर को माध्यमिक विद्यालय, बड़े-हदममुंडा में पदस्थ कर दिया।

3. याचिकाकर्ता श्रीमती झरना आचार्य के विद्वान अधिवक्ता ने पुरजोर तर्क दिया कि श्रीमती सविता नायर को दिनांक 21.02.2008 के आदेश (अनुलग्नक पी-6) द्वारा माध्यमिक विद्यालय, बड़े-हदममुंडा में स्थानांतरित किया गया था। आदेश में विशेष रूप से उल्लेख है कि शिक्षकों को दिनांक 07.03.2008 तक अपने

पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना था, ऐसा न करने पर उनकी पदोन्नति रद्द हो जाएगी। जबकि, याचिकाकर्ता को दिनांक 27.02.2008 के आदेश (अनुलग्नक पी-2) द्वारा पदोन्नत किया गया था और उसके बाद माध्यमिक विद्यालय, कोडेनार-2 में पदस्थ किया गया था। पदस्थापना आदेश का पालन करते हुए, याचिकाकर्ता को दिनांक 03.03.2008 को माध्यमिक विद्यालय, बचेली से कार्यमुक्त किया गया था और उन्होंने दिनांक 04.03.2008 को खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में कार्यग्रहण रिपोर्ट (अनुलग्नक पी-5) दी थी। हालांकि, कलेक्टर ने दिनांक 04.03.2008 को हुई काउंसलिंग के आधार पर उनके पदस्थापना आदेश को संशोधित किया है और अब उन्हें श्रीमती सविता नायर के स्थान पर माध्यमिक विद्यालय, बड़े-हदममुंडा में पदस्थ किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए, जो **तेजश्री घाग बनाम प्रकाश परशुराम पाटिल व अन्य 2007 ए आई आर एस सी डब्ल्यू 3673** के मामले में है, यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता को दिनांक 27.02.2008 के आदेश द्वारा पहले ही माध्यमिक विद्यालय, कोडेनार-2 में पदस्थ किया जा चुका था और और उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया था। जबकि, श्रीमती सविता नायर को दिनांक 21.02.2008 को माध्यमिक विद्यालय, बड़े-हदममुंडा में स्थानांतरित किया गया था और उन्होंने दिनांक 21.02.2008 के आदेश का पालन करने के बजाय, माध्यमिक विद्यालय, कोडेनार-2 की प्रधान पाठक की दिनांक 25.02.2008 को मृत्यु के बाद, अपने स्थानांतरण आदेश में संशोधन और उन्हें माध्यमिक विद्यालय, कोडेनार-2 में पदस्थ करने के लिए एक अभ्यावेदन देना पसंद किया। कलेक्टर, दंतेवाड़ा ने उनके अभ्यावेदन को केवल इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि श्रीमती सविता नायर वरिष्ठ उच्च श्रेणी शिक्षक हैं और पदोन्नति के आधार पर भी वह श्रीमती झरना आचार्य से वरिष्ठ हैं। श्रीमती सविता नायर उस स्थान पर लंबे समय से उच्च श्रेणी शिक्षक के रूप में पहले से ही पदस्थ थीं और इसलिए, कलेक्टर द्वारा उनके अभ्यावेदन को स्वीकार करने, उनके स्थानांतरण आदेश को संशोधित करने और उन्हें उसी स्थान पर प्रधान पाठक के रूप में पदस्थ करने के लिए दिए गए कारण का कोई विधिक आधार नहीं है, क्योंकि वरिष्ठता किसी शिक्षक को उसकी पसंद के विशेष अनुभाग में पदस्थ करने का मानदंड नहीं हो सकती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. दूसरी ओर, याचिकाकर्ता श्रीमती सविता नायर के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि हालांकि उन्हें दिनांक 21.02.2008 को पदोन्नत कर माध्यमिक विद्यालय, बड़े-हदममुंडा में प्रधान पाठक के रूप में पदस्थ किया गया था, लेकिन माध्यमिक विद्यालय, कोडेनार-2 की प्रधान पाठक की मृत्यु के बाद, उन्होंने दंतेवाड़ा के कलेक्टर के समक्ष अपना पदस्थापना आदेश संशोधित करने के लिए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, क्योंकि उसी विद्यालय में, जहाँ वह उच्च श्रेणी शिक्षक के रूप में पदस्थ थीं, अब पद रिक्त था। चूंकि श्रीमती झरना आचार्य पहले ही उस विद्यालय में पदस्थ थीं, इसलिए दंतेवाड़ा के कलेक्टर ने दिनांक 04.03.2008 को उन दोनों को काउंसलिंग के लिए बुलाया और काउंसलिंग के आधार पर, दिनांक 11.03.2008 के आदेश (अनुलग्नक पी-7) से दोनों याचिकाकर्ताओं के पदस्थापना आदेशों को संशोधित किया। उक्त आदेश याचिकाकर्ता श्रीमती सविता नायर की वरिष्ठता पर विचार करते हुए और काउंसलिंग के दौरान दोनों प्रभावित व्यक्तियों को सुनने के बाद पारित किया गया था।

राजेंद्र रॉय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य 1993 (1) एससीसी 148 के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया गया कि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह साबित हो कि दिनांक 11.03.2008 का आदेश दुर्भावनापूर्ण ढंग से, किसी गलत उद्देश्य के लिए या बदला लेने के लिए पारित किया गया था। कलेक्टर ने श्रीमती झरना आचार्य और श्रीमती सविता नायर के पदस्थापना आदेशों को यह कारण बताते हुए संशोधित किया कि श्रीमती सविता नायर श्रीमती झरना आचार्य से वरिष्ठ थीं, और यह आदेश दोनों याचिकाकर्ताओं के साथ काउंसलिंग के बाद पारित किया गया था। इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय का हवाला देते हुए, जो **मोहम्मद मसूद अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य (2007) 8 एस सी सी 150** के मामले में दिया गया था, यह तर्क दिया गया कि आम तौर पर न्यायालयों के पास स्थानांतरण के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकारिता नहीं होती है, क्योंकि यह पूरी तरह से नियोक्ता पर निर्भर करता है कि वह कब, कहाँ और किस समय एक लोक सेवक को उसकी वर्तमान पदस्थापना से स्थानांतरित करे।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है। मैंने दोनों याचिकाकर्ताओं द्वारा उनकी याचिकाओं के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

6. स्थानांतरण के मामलों में न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर विचार किया गया है। श्री कोशी, याचिकाकर्ता श्रीमती सविता नायर के विद्वान अधिवक्ता, द्वारा उद्धृत नवीनतम निर्णय यानी मोहम्मद मसूद अहमद (पूर्वोक्त) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पिछले निर्णयों का उल्लेख करते हुए, अनुच्छेद 226 के तहत स्थानांतरण के न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे पर इस प्रकार विचार किया:

> "भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत स्थानांतरण के न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे को उच्चतम न्यायालय ने राजेंद्र रॉय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम श्री भगवान, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम अंजन सान्याल में स्थापित किया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित पूर्वोक्त सिद्धांतों का पालन करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विजय पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ओंकार नाथ तिवारी बनाम मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग में यह माना है कि पूर्वोक्त निर्णयों में निर्धारित विधि का सिद्धांत यह है कि स्थानांतरण का आदेश एक कर्मचारी की सेवा शर्तों का हिस्सा होता है, जिसमें अनुच्छेद 226 के तहत अपने विवेकाधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए विधि के न्यायालय द्वारा आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि न्यायालय यह न पाए कि या तो आदेश दुर्भावनापूर्ण है या सेवा नियम ऐसे स्थानांतरण को प्रतिबंधित करते हैं, या यह कि जिन अधिकारियों ने आदेश जारी किए, वे आदेश पारित करने के लिए सक्षम नहीं थे।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. यह सत्य है कि श्रीमती सविता नायर को पहले दिनांक 21.02.2008 के आदेश द्वारा माध्यमिक विद्यालय, बड़े-हदममुंडा में पदस्थ किया गया था, जबकि श्रीमती झरना आचार्य को दिनांक 27.02.2008 के आदेश द्वारा माध्यमिक विद्यालय, कोडेनार-2 में पदस्थ किया गया था। हालांकि, माध्यमिक विद्यालय, कोडेनार-2 की प्रधान पाठक श्रीमती एस. बोरकर के निधन के बाद, श्रीमती सविता नायर ने कलेक्टर को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इस अभ्यावेदन की प्राप्ति पर कलेक्टर ने दोनों याचिकाकर्ताओं, यानी श्रीमती झरना आचार्य और श्रीमती सविता नायर को दिनांक 04.03.2008 को काउंसलिंग के लिए बुलाया और उसके बाद, दिनांक 11.03.2008 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता श्रीमती सविता नायर के अभ्यावेदन को स्वीकार करते हुए, उनके पदस्थापना आदेशों को संशोधित किया और श्रीमती सविता नायर को श्रीमती झरना आचार्य के स्थान पर और श्रीमती झरना आचार्य को श्रीमती सविता नायर के स्थान पर पदस्थ कर दिया। यह भी विवादित नहीं है कि श्रीमती झरना आचार्य को माध्यमिक विद्यालय, कोडेनार-2 में स्थानांतरित होने के बाद, उन्होंने दिनांक 04.03.2008 को अपने पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया था। जबकि, दिनांक 11.03.2008 के आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता श्रीमती सविता नायर ने दिनांक 13.03.2008 को अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट दी और उसके बाद उन्होंने दिनांक 18.03.2008 को (रिट याचिका क्रमांक 3400/08 में अनुलग्नक पी-5 के अनुसार) कार्यभार भी ग्रहण कर लिया। हालांकि, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा के कलेक्टर ने इस न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के आधार पर एक और आदेश (अनुलग्नक पी-7) दिनांक 20.05.2008 पारित किया, जिसके द्वारा दोनों याचिकाकर्ताओं की आपसी स्थिति को फिर से बदल दिया गया।

8. इस न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि स्थानांतरण आदेश पर याचिकाकर्ता श्रीमती झरना आचार्य के संबंध में स्थगन तभी लागू होना था, यदि इसका निष्पादन नहीं हुआ था। हालांकि, रिट याचिका क्रमांक 3400/08 के साथ उपलब्ध दस्तावेजों से, जिसे श्रीमती झरना आचार्य ने विवादित नहीं किया है, यह पता चलता है कि दिनांक 25.04.2008 के स्थगन आदेश पारित होने की

तारीख तक, दिनांक 11.03.2008 का आदेश पहले ही निष्पादित हो चुका था और इसलिए, इस न्यायालय की राय में, स्थगन आदेश के आधार पर कथित रूप से पारित बाद का आदेश दिनांक 20.05.2008 का कोई परिणाम नहीं है।

9. इसलिए, ऊपर उद्धृत निर्णयों और उन परिस्थितियों पर भरोसा करते हुए जिनमें कलेक्टर, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 11.03.2008 पारित किया गया था, जिसके द्वारा दोनों याचिकाकर्ताओं के पदस्थापना आदेशों को संशोधित किया गया था और यह मानते हुए कि उक्त आदेश प्रभावित व्यक्तियों के साथ काउंसलिंग के बाद और उस आदेश में दिए गए कारणों के लिए पारित किया गया था, मेरी यह राय है कि जहां तक यह याचिकाकर्ता श्रीमती सविता नायर से संबंधित है, इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। और इस दृष्टिकोण के आलोक में, बाद का पदस्थापना आदेश दिनांक 20.05.2008, जहां तक यह श्रीमती सविता नायर की पदस्थापना से संबंधित है, जिसके द्वारा उन्हें इस न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के अनुपालन में कथित रूप से फिर से माध्यमिक विद्यालय, बड़े-हदममुंडा में पदस्थ किया गया है, को रद्द किया जाना चाहिए।

10. परिणामस्वरूप;-

- श्रीमती सविता नायर द्वार ा दायर रिट याचिका क्रमांक 3400/08 को स्वीकार किया जाता है और आक्षेपित आदेश दिनांक 20.05.2008, जहां तक यह श्रीमती सविता नायर की पदस्थापना से संबंधित है, को एद्त द्वारा अपास्त किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

- श्रीमती झरना आचार्य द्वारा दायर रिट याचिका क्रमांक 1708/08 को एद्त द्वारा खारिज किया जाता है। हालांकि, उन्हें दिनांक 11.03.2008 के आदेश के मद्देनजर अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों के बारे में कलेक्टर, दंतेवाड़ा को अभ्यावेदन देने की स्वतंत्रता होगी और यदि ऐसा अभ्यावेदन दिया जाता है, तो कलेक्टर उस पर विचार करेंगे और शीघ्रता से निर्णय लेंगे।

11. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

हस्ता/-
धीरेंद्र मिश्रा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By AJEY KUMAR ...